राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 24.08.2023
स्थान– होटल रैडिसन ब्लू

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 84वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 84वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 24.08.2023 को होटल रैडिसन ब्लू , राँची के GBR सभागार में आयोजित की गई। बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री सुब्रत कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव, श्री अजय कुमार सिंह,भा०प्र० से०, वित्त विभाग-झारखंड सरकार की विशेष सचिव, श्रीमती दीप्ती जयराज, महानिदेशक, अपराध जांच विभाग, श्री अनुराग गुप्ता, आई.पी.एस, एस.एल.बी.सी झारखंड के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), श्री संजीव सिन्हा, नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबन्धक श्री गौतम कुमार सिंह ,झारखंड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संदीप सिंह, भा०प्र० से० , एस.एल.बी.सी के उप महाप्रबंधक श्री रणवीर सिंह, भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबन्धक श्री बिनोद मिश्रा उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अथवा केनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री बैजनाथ सिंह एवं श्री श्रीनाथ जोशी, अन्य सभी बैंकों के राज्य प्रमुख तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं केंद्र/राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक के क्रम मे सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न प्रमुख गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया,जिनकी प्रस्तुति निम्नतः है-

क) **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार का सम्बोधन-**

- श्री मनोज कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं बैंकों के जून तिमाही के प्रदर्शन,अन्य नीतिगत मुद्दे एवं महत्वपूर्ण विषयो के संबंध मे सभा का ध्यान आकृष्ट किया।

- श्री कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 92,935 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, इस वर्ष यह लक्ष्य विगत वर्ष की उपलब्धि के आधार पर बनाया गया है अथवा उन्होंने सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों से यह अपेक्षा जताई की सभी बैंक ससमय इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेंगे। (एक्शन-समस्त बैंक एवं एल.डी.एम)

- श्री कुमार ने सभा के सदस्यों के समक्ष इस राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों को प्रकाशित किया जिनमें प्रथम और अति महत्वपूर्ण विषय राज्य में ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांचों को खोलना रहा। महाप्रबंधक एस.एल.बी.सी ने बताया

की विगत वर्ष के दौरान DFS द्वारा 32 बैंकिंग रहित ग्रामीण केंद्रों पर शाखा खोलने के लिए निर्देशित किया गया था सभी बैंकों द्वारा शाखाएँ खोली जा चुकी है किन्तु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया , बंधन बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अब तक शाखा खोलना लंबित है। उन्होंने इन सभी बैंकों के प्रमुखों से यह अनुरोध किया कि वे इसकी महत्ता को समझें और यथाशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करे।

(एक्शन-यूनियन बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बरोदा)

- महाप्रबंधक एस.एल.बी.सी ने बताया कि DFS द्वारा 32 बैंक रहित ब्रिक अँड मोर्टर ब्रांच के अलावा 5 नयी जगहों पर भी शाखाए खोलने के लिए *बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडसइंड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक तथा यूको बैंक* को ज़िम्मेदारी दी गयी थी, जिनमें से सिर्फ *बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं यूको बैंक* ने उचित अद्यतन प्रतिवेदन एस.एल.बी.सी को उपलब्ध करवाया है, उन्होंने अन्य बैंक के प्रमुखों से आग्रह किया कि वे इस कार्य का यथाशीघ्र निष्पादन करें तथा इसकी जानकारी एस.एल.बी.सी को भी उपलब्ध कराये।

(एक्शन- इंडसइंड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक)

- श्री कुमार ने सभी सदस्यों को 12.08.2023 को भुबनेश्वर, ओड़ीशा में माननीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भगवत कराड द्वारा पी.एम स्वनिधि की सामीक्षा बैठक से अवगत कराया। उन्होंने सभी सदस्य बैंको से अनुरोध किया कि वे पी.एम स्वनिधि के आवेदनों का निपटान सुनिश्चित करें साथ ही साथ युद्ध स्तर पर ulb के साथ मिलकर क्लस्टर आधारित शिविर का आयोजन कर के पीएम स्वनिधि के आवदेन उत्पन्न करें तथा उन आवदेनों को तुरंत स्वीकृति प्रदान कर सारे स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कुमार ने village adoption campaign Phase-II के शुभारंभ के बारे में सदन को अवगत कराया साथ ही सभी एल.डी.एम से यह अनुरोध है कि एस.एल.बी.सी द्वारा निर्गत एस.ओ.पी के मार्गदर्शन अनुसार सभी गावों को गोद लेने की प्रक्रिया पूर्ण करें- जिससे आने वाली तिमाहियों में वित्तीय समावेशन और क्रेडिट से 100% संतृप्ति का उद्देश्य पूरा किया जा सके। उन्होंने सभी बैंक प्रमुख से अनुरोध किया की वे अपने सभी semi-urban और rural शाखाओ को निर्देशित करें की वे इस प्रमुख कार्य में पूर्ण रूप से भाग ले साथ ही चयनित गाँव को पूरी तरह वित्तीय समावेशन एवं क्रेडिट लिंकेज से संतुष्ट करे।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एल.डी.एम)

- श्री कुमार ने सभा के समक्ष DFS द्वारा चलाये जा रहे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में सभी हितधारकों को अवगत कराया। उन्होंने ने बताया की DFS ने झारखंड राज्य में कुल 34 ब्लॉक को आकांशी ब्लॉक के रूप में चिन्नहित किया है – जिनके तहत जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना को जनमानस तक पहुंचाया जाना है। उन्होंने सभी एल.डी.एम से अनुरोध किया कि वे साप्ताहिक डाटा जनसुरक्षा पोर्टल पर डालना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही श्री कुमार ने बैंको से अनुरोध किया कि वे अपने सभी योग्य ग्राहकों का नामांकन जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना में करना सुनिश्चित करें इसके साथ साथ उन्होंने बैंकों से सभी पात्र खाताधारकों को पी.एम.जे.डी.वाई ओवर-ड्राफ्ट प्रदान करने और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एल.डी.एम)

- महाप्रबंधक एस.एल.बी.सी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि यदि वे उचित समझें तो पीएम स्वामित्व योजना की राज्य स्तरीय रणनीति बनाने के लिए पहल करें जिससे लोगों को प्रॉपर्टि कार्ड उपलब्ध हो सके अथवा उसके माध्यम से लोगों को उचित ऋण सुविधा बैंक प्रदान कर सके।

(एक्शन- राज्य सरकार)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति • झारखण्ड

- श्री कुमार ने सभा के समक्ष डीएफ़एस द्वारा निर्देशित स्पेशल डी.एल.आर.सी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सभी एल.डी.एम को निर्देश दिया की वे स्पेशल डी.एल.आर.सी की बैठक अपने जिले में कराना सुनिश्चित करें तथा बैठक में 18 वर्ष से अधिक सभी लोगों का बैंक खाता खोलने की रणनीति तैयार करें। उन्होंने साथ ही सभी एल.डी.एम को यह निर्देश भी दिया की मीटिंग में लोकल सांसद और एमएलए सदस्य को आमंत्रित करना सुनिश्चित करे और कार्यवृत्ति एस.एल.बी.सी के साथ साझा करें।

(एक्शन- समस्त एल.डी.एम)

- श्री कुमार ने बताया की कुल 05 जिले में जिनका ऋण जमा अनुपात उचित स्तर के नीचे है वैसे जिलों में 90 दिवसीय Credit Outreach Campaign चलाना है। ये चिन्हित जिले: Chatra, Gumla, West Singhbhum, Jamtara और Simdega है। उन्होंने इन एल.डी.एम को 90 दिवसीय क्रेडिट आउटरीच अभियान सफलतापूर्वक संचालित करने और हर महीने के पहले सप्ताह तक एस.एल.बी.सी को प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

(एक्शन- एल.डी.एम चतरा, गुमला, पश्चिमी सिंगभुम, जामतारा और सिमडेगा)

- महाप्रबंधक ने अपने अंतिम वक्तव्य में RSETI के मुद्दे को सभा के समक्ष रखा। उन्होंने बताया की ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और आजीविका प्रदान करने में RSETI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह ग्रामीण व्यक्तियों को सशक्त बनाता है और राज्य में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देता है, इसलिए, उन्होंने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे इन अनुप्रयोगों के वित्तपोषण पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये प्रस्तावक पहले से ही गतिविधि में प्रशिक्षित हैं। इसके साथ ही उन्होंने मंच के माध्यम से सभी हितधारको से RSETI sourced लंबित अवदेन को जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। **(एक्शन-समस्त बैंक एवं एल.डी.एम)**

ख) नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह का सम्बोधन-

- श्री गौतम कुमार सिंह ने सदन को सूचित किया कि चूंकि सी.जी.एम नाबार्ड अस्वस्थ हैं, इसलिए वह इस 84 वीं एस.एल.बी.सी बैठक में नाबार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत एसीपी उपलब्धि पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। पहली तिमाही में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत उपलब्धि 40.49% रही, वही पिछले वर्ष जून तिमाही में यह 33.09% थी। आगे उन्होंने कहा कि कृषि और एम.एस.एम.ई क्षेत्र के तहत ए.सी.पी उपलब्धि प्रतिशत में पिछले साल की जून तिमाही की तुलना में वृद्धि देखी जा रही है. हालाँकि, शिक्षा, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे (Social Infrastructure) के तहत साल-दर-साल वृद्धि पिछले साल जून तिमाही की तुलना में कम दर्ज की गई है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)।

- महाप्रबंधक नाबार्ड ने राज्य के ऋण जमा अनुपात में निरंतर वृद्धि पर सभी हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने आगे बताया कि 30.06.2023 तक ऋण जमा अनुपात राज्य का 45.08% रही, वहीं पिछले साल जून तिमाही में ऋण जमा अनुपात 42.90% था। उन्होंने आगे बताया कि पिछले वर्ष जून तिमाही में 16 जिले

ऐसे थे जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम था, वहीं इस तिमाही में केवल 14 जिले ऐसे बचे हैं जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम है जो राज्य के लिए एक अच्छा संकेत है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के तहत राज्य में वित्तपोषण 18 प्रतिशत के बेंचमार्क से नीचे होने पर चिंता व्यक्त की, उन्होंने बताया की झारखंड राज्य में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के तहत वित्तपोषण सिर्फ 14% है। उन्होंने सभी बैंकरों से इस क्षेत्र के तहत वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की ताकि राज्य 18% के बेंचमार्क प्रतिशत को पार कर सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- उन्होंने सदन को बताया कि के.सी.सी फसल ऋण केंद्र और राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए फसल ऋण के तहत ए.सी.पी में आवंटित लक्ष्य 6,340 करोड़ रुपये और खातों में 11.49 लाख का लक्ष्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहली तिमाही में उक्त लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि, राशि के हिसाब से 12% और खातों के हिसाब से 10% रही है। उन्होंने इस उपलब्धि के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की और बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी शाखाओं में प्राप्त के.सी.सी फसल ऋण आवेदनों को प्राथमिकता दें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- उन्होंने आगे बताया कि चूंकि इस वर्ष मौंनसून कमजोर है और बुआई केवल 50% है, इसलिए धान के अलावा अन्य के.सी.सी फसल ऋण के वित्तपोषण में बैंकों द्वारा फोकस प्रयास प्रदान किया जाना चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- उन्होंने हर्ष के साथ सदन को सूचित किया कि झारखंड राज्य सहकारी बैंक ने निर्णय लिया है कि वे इस वित्तीय वर्ष में केसीसी में लगभग 100 करोड़ रुपये का वित्तपोषण करेंगे।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने लागू के.सी.सी योजना में *ब्याज छूट योजना* (interest subvention scheme) पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार उन सभी खातों में केसीसी ऋण पर ब्याज में 3% की छूट भी प्रदान करती है, जहां त्वरित भुगतान किया जा रहा है, हालाँकि, उन्होंने बताया की केवल झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ने ही इस योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने आगे बताया कि एस.एल.बी.सी उप-समिति में कृषि विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुदान का दावा करने के तरीके पर एक व्यापक चर्चा की गई है अथवा उन्होंने सभी बैंकों से इस subvention का लाभ उठाने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- उन्होंने KCC Animal Husbandry के क्षेत्र में खराब प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया उन्होंने सदन को बताया कि लगभग 38 हजार दुग्ध/डेयरी किसान मेधा डेयरी को दूध उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे उन्हें सीधे उनके खाते में आय प्रदान की जा रही है और ऐसे किसानों की सूची बैंकों के साथ साझा भी की जा चुकी है। इसपर उन्होंने सदस्य बैंकों से ऐसे दूध/डेयरी किसानों को केसीसी ऋण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- नाबार्ड के महाप्रबंधक ने सदन को अवगत कराया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के तहत प्रदर्शन में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि उप समिति की बैठक में बैंकों के समक्ष इस योजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया था और यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार उक्त योजना में 3% ब्याज अनुदान प्रदान कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना की खूबसूरती यह है कि अगर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई सब्सिडी प्रदान की जा रही हो तो भी यह योजना सब्सिडी के लिए पात्र है।

  श्री सिंह ने उप समिति की बैठक में आए कुछ सुझावों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें पीएमयू द्वारा राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय AIF पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल था। दूसरा, बैंकरों का सुझाव था कि उक्त योजना में डीपीआर बैंकों के दिशानिर्देश के अनुसार तैयार नहीं किया जा रहा है, जिसके संबंध में नाबार्ड ने पीएमयू को उक्त दिशानिर्देश का पालन करने का भी निर्देश दिया।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने पी.एम.एफ.एम.ई योजना के ऋण आवेदनों के जिला स्तर पर, भारी अस्वीकरण का मामला उठाया। उन्होंने आगे यह भी बताया बताया कि उन्होंने उप समिति की बैठकों में पीएमयू को राज्य स्तर और जिला स्तर पर बैंकरों के लिए पी.एम.एफ.एम.ई योजना के तहत एक जागरूकता कार्यशाला की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- नाबार्ड के महाप्रबंधक ने बताया कि नाबार्ड, जे.एस.एल.पी.एस और अन्य एजेंसियां मिलकर एफ.पी.ओ को बढ़ावा दे रही हैं और राज्य में लगभग 350 एफपीओ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड इन एफ.पी.ओ की रेटिंग करती है और बैंकों को एफ.पी.ओ की A रेटेड सूची प्रदान की गई है। उन्होंने बैंकों से इन एफपीओ के वित्तपोषण करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने सदन को कुचाई एवं भगैया रेशम के लिए जी.आई पंजीकरण प्राप्त किसानों/कारीगरों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु किये गये कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि नाबार्ड व्यक्तियों को सूक्ष्म ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रेडिट कार्यक्रम चला रहा है जो उन्हें आजीविका देने में मदद करता है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष नाबार्ड ने लगभग 40-50 हजार स्वयं सहायता समूहों और जे.एल.जी सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे उन्हें आजीविका मिलने में मदद मिल रही है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- महाप्रबंधक नाबार्ड ने कहा कि संस्था एन.आर.एल.एम परियोजना भी चला रही है, जहां आजीविका के लिए उद्यान आधारित कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बैंक इन किसानों को क्लस्टर आधारित तरीके से वित्तपोषित कर सकते हैं।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- अंत में श्री सिंह ने सदस्यों को धन्यवाद दिया और उन्होंने राज्य की आर्थिक वृद्धि में नाबार्ड की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों के लिए केज फार्मिंग के लिए एक एक्सपोजर विजिट प्रस्तावित है, जिसमें एस.एल.बी.सी से विजिट की तारीख तय करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

ग) भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा का सम्बोधन

❖ श्री संजीव सिन्हा ने अपने भाषण को दो श्रेणीयों मे विभाजित किया-

➢ Suggestion for State Level Bankers Committee

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक ने एस.एल.बी.सी को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि बैंकों के सभी राज्य प्रमुख/नियंत्रक प्रमुख एस.एल.बी.सी बैठकों में भाग ले।

(एक्शन- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

❖ आरबीआई के महाप्रबंधक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रति नाराजगी जताई क्योंकि ये बैंक सरकार प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्तपोषण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों से राज्य के लोगों के उत्थान के लिए इन योजनाओं के तहत वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

(एक्शन- सभी निजी क्षेत्र के बैंक)

❖ श्री सिन्हा ने राज्य में सूक्ष्म एवं लघु वित्त पोषण में तेजी ना आने पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि, राज्य में एसीपी लक्ष्यों को बैंकों द्वारा अधिक हासिल किया जा रहा है, किन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि ये उपलब्धियां मध्यम उद्यमों को वित्तपोषण के कारण हैं। उन्होंने सभी बैंको को सुझाव दिया कि उनको राज्य के उत्थान के लिए सूक्ष्म और लघु वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और साथ ही इस संबंध में श्री सिन्हा ने एस.एल.बी.सी से डेटा के आधार पर बैंकों और हितधारकों के साथ एक विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया इसके अलावा इस बैठक में कुछ सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया।

(एक्शन- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक ने अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा डीएलआरसी बैठकें आयोजित न करने के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने एल.डी.एम से अनुरोध किया कि वे डीएलआरसी की बैठकों में नियमित रूप से जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें क्योंकि ये सभी लक्ष्य और उपलब्धियां आम जनता के जीवन की बेहतरी से संबंधित हैं। उन्होंने एस.एल.बी.सी से इस मामले को सरकार के समक्ष उठाने का भी अनुरोध किया ताकि जिला कलेक्टरों को डीएलआरसी की बैठक अलग से आयोजित करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

(एक्शन- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति)

❖ उप समिति की बैठकों पर महाप्रबंधक नाबार्ड द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए, श्री सिन्हा ने कहा कि उप समितियाँ एस.एल.बी.सी बैठकों से ठीक पहले आयोजित की जाती हैं और ये समितियाँ इस बात पर चर्चा करने के लिए हैं कि हमने क्या किया है और क्या करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि उप समितियों के संयोजक को एस.एल.बी.सी को किए गए कार्यों, किए जाने वाले कार्यों और इन उप समितियों द्वारा आगे की राह क्या है, इन सभी से अवगत कराना चाहिए।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक ने स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय साक्षारता संबन्धित कुछ अध्याय शामिल करने के संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध किया, उन्होंने बताया कि 57 अध्यायों में से 39 अध्याय पहले

ही शामिल किए जा चुके हैं, जो इस दृष्टि से किया जा रहा है कि बच्चों को समझ आ जाए कि वित्त क्या है। इस संबंध में उन्होंने राज्य सरकार से शेष अध्यायों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

➢ RBI initiative on policy development:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक ने सदन को अवगत कराया कि आरबीआई अखिल भारतीय स्तर पर वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी आयोजित कर रहा है और यह प्रश्नोत्तरी विशेष रूप से सरकारी और नगरपालिका स्कूल के बच्चों के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रश्नोत्तरी के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। आरबीआई रांची और अन्य सभी आरबीआई कार्यालय ने ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रश्नोत्तरी आयोजित किया है और झारखंड से राज्य स्तर के विजेता को 5 सितंबर को कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रों के फाइनल में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने स्कूल को बधाई दी और इस प्रश्नोत्तरी के आयोजन में सहयोग के लिए सचिव शिक्षा विभाग सहित अग्रणी जिला प्रबंधक को धन्यवाद दिया।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सिन्हा ने बताया कि एम.एस.एम.ई की भूमिका राज्य के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आर.बी.आई सूक्ष्म और लघु उद्यमों की आवश्यकताओं को समझने के लिए और बैंकरों के कौशल संवर्धन के लिए हर तिमाही NAMCABS का आयोजन करता है। उनका मानना है कि ये कार्यशालाएं बैंकरों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सिन्हा ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा **उदगम पोर्टल** के लॉन्च के बारे में सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल बैंकों में पड़ी लोगों की अनधियाचित(Unclaimed) जमा राशि के बारे में जानने में मदद करेगा।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सिन्हा ने आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए **अंतरदृष्टि** पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी जो वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। उन्होंने एस.एल.बी.सी से इसमें एल.डी.एम के माध्यम से भाग लेने का अनुरोध किया और एल.डी.एम को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि ये पैरामीटर ठीक से भरे। उन्होंने यह भी कहा कि सीएफएल पहले से ही ऐसा कर रहा है और एल.डी.एम की भागीदारी से निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

(एक्शन- एल.डी.एम एवं सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- अंत में, भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक ने एस.एल.बी.सी और अन्य हितधारकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय प्रभारी के रूप में उनको समर्थन प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। श्री सिन्हा ने बताया की वे 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

घ) पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, श्री अनुराग गुप्ता

- श्री अनुराग गुप्ता ने एस.एल.बी.सी की त्रैमासिक बैठक में उन्हें आमंत्रित करने के लिए एस.एल.बी.सी को धन्यवाद दिया।

- श्री गुप्ता ने सभी बैंकरों से अनुरोध किया कि वे उन नोडल अधिकारियों की सूची प्रदान करें जिन्हें धारा 91 सी.आर.पी.सी नोटिस दिए जा सके साथ ही उन्होंने बताया की क्योंकि सूची पुरानी हो गई है और जब विभाग को जांच के उद्देश्य से बैंक खातों के विवरण की आवश्यकता होती है तो यह देखा गया है कि नोडल अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है या उनके नंबर बंद है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री गुप्ता ने कहा कि बैंकों द्वारा फर्जी खातों का खाता खोलने का फॉर्म और केवाईसी प्रदान करने में देरी की जाती है, इसलिए, उन्होंने बैंकर्स से अनुरोध किया कि यदि पुलिस विभाग से खाता खोलने का फॉर्म और केवाईसी प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध आता है तो इसमें कोई देरी नहीं की जानी चाहिए।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- उन्होंने सदन को केंद्र सरकार के द्वारा 1930 हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया साथ ही उन्होंने कहा की ग्राहक जैसे ही किसी धोखाधड़ी वाले लेनदेन की रिपोर्ट इस नंबर पर करता है वैसे ही बैंकें तुरंत खाता फ्रीज कर देती है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री गुप्ता ने बैंकों से धोखाधड़ी वाले लेनदेन का आईपी पता प्रदान करने का अनुरोध किया साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग को अपराधियों के डिजिटल पदचिह्न प्रदान करने में भारतीय स्टेट बैंक के काम की सराहना की।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- उन्होंने बैंकों को सलाह दी कि वे खाताधारक की पूरी राशि न रोकें बल्कि केवल वही राशि रोकें जो सी.आर.पी.सी नोटिस की धारा 102 में उल्लिखित है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री गुप्ता ने बैंकों से अपने एटीएम का जियो-लोकेशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि गश्ती वाहन को निर्देश दिया जा सके उचित निरीक्षण के लिए. उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि एटीएम में कैमरे हाई-रेजोल्यूशन वाले लगाई ताकि धोखाधड़ी करने वालों की पहचान हो सके।

(एक्शन- समस्त बैंक)

घ) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, श्री अजय कुमार सिंह का सम्बोधन

- वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में बताया कि वह इस 84वीं एस.एल.बी.सी बैठक में बैंकों के साथ ऋण वृद्धि के बारे में बात करेंगे क्योंकि कोविड-19 की अवधि समाप्त हो चुकी है और देश की आर्थिक वृद्धि लगभग 6-7% रहने का अनुमान है, वहीं झारखण्ड राज्य की विकास दर भी लगभग 7% अनुमानित है। इसके साथ ही उन्होंने बताया की राज्य का जीएसटी कलेक्शन और राज्य सरकार का बजट भी बढ़ता जा रहा है (1,16,000 crore) उसी प्रकार बैंक को भी अपने ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में बढ़ना होगा।

  उन्होंने कहा कि बैंक ऋण वृद्धि में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जहां पिछले वर्ष राज्य का ऋण जमा अनुपात 42.90% था वहीं इस वर्ष यह बढ़कर 45.08% हो गया है। उन्होंने बैंकों से राज्य के ऋण एवं ऋण जमा अनुपात पर ध्यान देने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह अपने वक्तव्य में एस.एल.बी.सी से अनुरोध किया कि वह ऋण जमा अनुपात में दीर्घकालिक योजना बनाये जो, लगभग 5 वर्षों में झारखंड राज्य का ऋण जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत, यानी 77% के बराबर पाहुचने में मदद करे। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना चरणबद्ध तरीके से बनाई जानी चाहिए और राज्य के लिए क्रेडिट योजना तैयार करते समय उपरोक्त मुद्दे को भी ध्यान में रखते हुए राज्य योजना का दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य (long term planning) बनाना चाहिए। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वित्त विभाग या राज्य सरकार से किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी वे तैयार हैं, ताकि एक दूरदर्शी दस्तावेज तैयार किया जा सके।

(एक्शन- एस.एल.बी.सी)

- श्री सिंह ने ब्रिक अँड मोर्टर शाखा का मुद्दा सदन के समक्ष रखा और सदन को अवगत कराया कि वित्त विभाग ने पहले ही एक नीति जारी की है कि यदि बैंकों को ब्रिक अँड मोर्टर शाखा खोलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो उन्हे राज्य सरकार द्वारा उक्त स्थानों पर उपलब्ध पंचायत भवन/पंचायत कार्यालय निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने उन सभी बैंकों को सलाह दी जिनकी शाखाएँ अभी तक बैंक रहित स्थानों पर नहीं खुली हैं,कि वे इसे प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ही शाखाएँ खोलें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि यदि बैंक को इंटरनेट कनेक्टिविटी या सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वे वित्त विभाग को सूचित करें, मामले को 6 महीने के भीतर हल कर दिया जाएगा।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने एकल नोडल खातों के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी सभा के समक्ष उठाया और कहा कि इस वर्ष से एकल नोडल खाते को एसीपी उपलब्धि से जोड़ा जाएगा और यदि बैंक एसीपी उपलब्धि के तहत प्रदर्शन नहीं करते हैं तो एकल नोडल खाते को प्रदर्शन करने वाले बैंकों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- प्रधान सचिव ने बताया कि वर्तमान में सरकारी टेंडर में बैंक गारंटी सरकार द्वारा फिजिकल माध्यम में ली जाती है, हालांकि, अब सरकार डिजिटल बैंक गारंटी मॉडल पेश करने जा रही है और नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड इस मॉडल को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले अगले 2-3 महीनों के भीतर राज्य सरकार के सभी टेंडर डिजिटल बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ जाएगी तथा उन्होंने सभी बैंकों से इस मामले पर काम करने और डिजिटल बैंक गारंटी जारी करने के संबंध में यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- अंत में श्री सिंह ने सरकारी खातों में हो रही धोखाधड़ी पर अपनी चिंता व्यक्त की और बैंकों/एल.डी.एम को सलाह दी कि वे खाता संभालने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर जागरूक करें या फिर उन्हें डी.एल.सी.सी की बैठक में बुलाकर वहां जागरूक करे ताकि राज्य में सरकारी खातों में हो रही धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सके इसके साथ ही उन्होंने बैंकों से सरकारी खातों में बड़े लेनदेन करते समय सावधानी बरतने का भी आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं एल.डी.एम)

छ) सीईओ जेएसएलपीएस श्री संदीप सिंह का सम्बोधन

- श्री सिंह ने अपने प्रारंभिक भाषण में बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे आजीविका मिशन भी कहा जाता है, द्वारा किए गए प्रमुख कार्य स्वयं सहायता समूह को बचत खाते खोलकर और क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से बैंकों से जोड़ना है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री संदीप सिंह ने बताया कि जेएसएलपीएस से 2.82 लाख स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं और इन सभी एस.एच.जी के पास अपने बैंक खाता है। हालाँकि, इन 2.82 लाख एसएचजी में से 2.27 लाख को क्रेडिट लिंक किया जा चुका है जो कुल एसएचजी का लगभग 80 प्रतिशत है। उन्होंने आगे कहा कि शेष 20 प्रतिशत यानी लगभग 55,000 एस.एच.जी को बैंकों के द्वारा क्रेडिट लिंक करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे शेष एस.एच.जी के ऋण आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने पर ध्यान दें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने सदन को अवगत कराया कि 2.27 लाख क्रेडिट-लिंक्ड एसएचजी में से 44% एसएचजी के ऋण की मात्रा 1.50 लाख या उससे कम है, साथ ही क्रेडिट-लिंक्ड एस.एच.जी के 37 प्रतिशत की ऋण राशि 1.50 से 3.00 लाख के बीच है। उन्होंने बताया कि इन एस.एच.जी की आवश्यकता 3.00 लाख से 6.00 लाख तक है। उन्होंने बैंको को इस क्षेत्र में सुधार के लिए बड़ी आवश्यकता बताई और उन्होंने बैंकों से इस मामले में जे.एस.एल.पी।एस के साथ सुझाओ साझा करने का भी अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- सी.ई.ओ जे.एस.एल.पी.एस ने आरसेटी का मुद्दा उठाया और बताया की वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य के लिए आरसेटी में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य 19,700 रखा गया है, जिसमें से 5,900 उम्मीदवारों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा की प्रशिक्षित उम्मीदवारों की आजीविका के अंतर्गत संख्या 20% से भी कम है यानी 5,900 प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से केवल 1,143 को ही आजीविका मिल पाई है जो की चिंता का विषय है।

(एक्शन- समस्त आरसेटी)

- उन्होंने बताया कि 9,200 आरसेटी स्रोत आवेदन बैंकों के पास लंबित हैं, 861 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जो प्राप्त आवेदन का 10% से भी कम है। उन्होंने बैंकों से इस मामले को देखने और अपनी शाखाओं को सभी पात्र आवेदनों को मंजूरी देने का निर्देश दिया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री सिंह ने अपने अंतिम वक्तव्य में सदन को रामगढ़ आरसेटी के लंबित भवन निर्माण के बारे में जानकारी दी, उन्होंने बताया की लंबित भवन निर्माण के कारण रामगढ़ आरसेटी में प्रशिक्षण के कार्य में बाधा आ रही है। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से तत्काल आधार पर इस मामले पर गौर करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- बैंक ऑफ इंडिया)

ज) कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, श्री सुब्रत कुमार का सम्बोधन

- कार्यपालक निदेशक, श्री सुब्रत कुमार ने 84वी एस.एल.बी.सी सभा में बुलाये जाने पर अपनी खुशी जाहिर की और बताया की हम सभी आज यहाँ एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं,

जिसका ध्येय हमारे देश का समेकित विकास करना है और मुख्यतः कृषकों और ग्रामीण इलाकों में बसे हुए लोगों की आर्थिक स्थिति को मज़बूती प्रदान करनी है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने सदन को बताया की राज्य में वर्ष दर वर्ष ऋण में 14.79% की वृद्धि रही है , वहीं राज्य ने ऋण जमा अनुपात में वर्ष दर वर्ष 5.08% की वृद्धि दर्ज की। उन्होंने सभी राज्य प्रमुख से ऋण जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत की ओर ले जाने का आग्रह किया साथ ही, उन्होंने बैंकों से उन सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया जहां राज्य सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि उद्यमी उन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री कुमार ने आरबीआई द्वारा सभी जिलों को कम से कम एक डिजिटल उत्पाद के साथ डिजिटल बनाने की पहल के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रांची और पूर्वी सिंहभूम को लगभग 100 प्रतिशत डिजिटल 30.06.2023 तक कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अब आरबीआई ने बचे हुए 22 जिलों को भी शत प्रतिशत डिजिटल करने का निर्देश दिया है, इस संबंध में उन्होंने सदस्य बैंकों से अपनी सभी संबंधित शाखाओं को संवेदनशील बनाने और अपने ग्राहकों को डिजिटल उत्पादों के बारे में जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- कार्यपालक निदेशक ने सभा को बताया की एस.एल.बी.सी झारखंड को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पी.एफ.आर.डी.ए द्वारा निर्धारित एपीवाई के लक्ष्यों का 183% हासिल करने के लिए मध्यम श्रेणी के राज्य में "Exemplary Award of par Excellence" प्रदान किया गया। उन्होंने इस के लिए सभी सदस्यों को बधाई दी।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने बताया की अटल पेंशन योजना के तहत कुल 2.85 लाख नामांकन के वार्षिक लक्ष्य (2023-24) के मुकाबले, राज्य ने योजना में 1.06 लाख व्यक्तियों का नामांकन करके पहली तिमाही तक 37.33% हासिल कर लिया है साथ ही नये नामांकन के तहत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 35% की है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने सभा को बताया की तीनों अग्रणी बैंक अपने 24 RSETI और 1 RUDSETI के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके आजीविका सृजन में योगदान दे रहे हैं इनमे SLBC – संयोजक, बीओआई 12 RSETI की ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- कार्यपालक निदेशक ने बताया की राज्य में बैंकों की प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा 1805 गांवों को गोद लिया गया था, जिसका उद्देश्य 100% आबादी को कम से कम एक बैंकिंग सुविधा प्रदान करके कवर करना था, उन्होंने बताया यह परियोजना एस.एल.बी.सी के माध्यम से अप्रैल 2022 में शुरू की गई थी और 30 जून 2023 तक कार्यक्रम के तहत 100% संतृप्ति हासिल कर ली गई है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री सुब्रत कुमार ने सदन को अवगत कराया की बैंक शाखा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए झारखंड में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 69 नई बैंक शाखाएं खोली गयी है, इन 69 शाखाओं में से 30 शाखाएं झारखंड के दूर-दराज के बैंक रहित क्षेत्र में है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- श्री कुमार ने बताया की झारखंड राज्य समेत हमारे पूरे देश के आर्थिक विकास में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसकी समृद्धि हमारे देश की समृद्धि का मूल है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए 01 सितंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 की अवधि के दौरान पीएम किसान लाभार्थियों को संतृप्त करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक संशोधित KCC संतृप्ति कार्यक्रम "**घर घर के.सी.सी अभियान**" शुरू किया जा रहा है। उन्होंने आगे यह भी बताया की इस अभियान के तहत कृषकों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा ताकि वे अपनी खेती-बाड़ी में नवाचार ला सकें और अपने परिवार के आर्थिक संवर्धन को बढ़ावा दे सकें। श्री कुमार ने सभी से अनुरोध किया की वे इस अभियान को सफल बनाए।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- कार्यपालक निदेशक, श्री सुब्रत कुमार ने राज्य सरकार से अपेक्षित कुछ मुद्दे को सभा के समक्ष रखा:

  - **भू अभिलेखों का शत प्रतिशत DIGITISATION / ऑनलाइन चार्ज की सुविधा:** श्री कुमार ने कहा की राज्य में बैंकों द्वारा ऋण देने में पूरी तरह से डिजीटल और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता एक बड़ी बाधा है अथवा बैंकों द्वारा भू-अभिलेखों पर ऑनलाइन चार्ज के लिए एक समर्पित पोर्टल राज्य सरकार के विभाग के पास लंबे समय से लंबित है, जिसे तत्काल समाधान की आवश्यकता है।

    (एक्शन- राज्य सरकार)

  - **सभी ज़िलों मे सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति:** कार्यपालक निदेशक ने बताया की बैंकों को एनपीए मामलों की वसूली में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तथा अभी भी अधिकांश जिलों में प्रमाण पत्र अधिकारियों (Certificate Officer) की नियुक्ति नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने बताया की जिन जिलों में सरफेसी कार्रवाई शुरू की गई है, वहां बैंकों को भौतिक कब्जा लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से सभी जिलो में सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति करने का अनुरोध किया।

    (एक्शन- राज्य सरकार)

  - **आवासीय संपत्तियों को सीएनटी/एसपीटी प्रावधान से बाहर रखना:** श्री कुमार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया की वे आवासीय सोसाइटी के संपत्ति को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से आवासीय संपत्तियों को सीएनटी/एसपीटी प्रावधान से बाहर रखने के प्रयास करे, इससे बैंक राज्य के सीएनटी/एसपीटी act में आने वाले सभी पात्र लोगों को आवासीये ऋण की सुविधा प्रदान कर सकती है।

    (एक्शन- राज्य सरकार)

इस सम्बोधन के उपरांत एस.एल.बी.सी के वरीय प्रबन्धक, श्री रोशन चौधरी द्वारा एस.एल.बी.सी बैठक के व्यवसायिक सत्र का संचालन किया गया, जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा एजेंडावार विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के प्रदर्शन पर चर्चा की गई।

अंत में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री बैजनाथ सिंह ने एस.एल.बी.सी की 84वीं बैठक में शामिल सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

(मनोज कुमार)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

84वीं एसएलबीसी बैठक, जून 2023

24 अगस्त 2023 होटल रेडिसन ब्लू, कडरू बाई पास रोड, रांची

क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	श्री सुब्रत कुमार	कार्यपालक निदेशक	बैंक ऑफ इंडिया	9962249306
2	श्री अजय कुमार सिंह आईएएस	प्रधान सचिव	वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार	9508244065
3	श्रीमती दीप्ति जयराज	विशेष सचिव	वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार	9431133694
4	श्री संजीव सिन्हा	जीएम ओ-आई-सी	भारतीय रिजर्व बैंक	9435402979
5	श्री गौतम सिंह	जीएम	नाबार्ड	9930544001
6	श्री मनोज कुमार	जीएम	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
7	श्री रणवीर सिंह	डीजीएम	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
8	श्री अनुराग गुप्ता	महानिदेशक (सीआईडी)	सीआईडी ,झारखंड पुलिस	9930544001
9	श्री संदीप सिंह	सीईओ	जेएसपीएलएस	7488790483
10	श्री धीरज होरो	एसपीएम-एफआई	जेएसपीएलएस	8969170434
11	श्री बिनोद बिहारी मिश्रा	डीजीएम	भारतीय रिजर्व बैंक	9538323290
12	श्री राजन पांडा	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	7008369513
13	श्री देवेश मित्तल	डीजीएम	भारतीय स्टेट बैंक	9971981001
14	श्री बैजनाथ सिंह	महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9162487223
15	श्री एफआर बुखारी	डीजीएम	इंडियन बैंक	9051658238
16	श्री सुमन साहू	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	9438125625
17	श्री श्रीनाथ जोशी	महाप्रबंधक	केनरा बैंक	9334913525
18	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9958999735
19	श्री सुनील कुमार	डीजीएम	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291876
20	श्री मदन मोहन बरियार	अध्यक्ष	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	9304118032
21	श्री संजीव कुमार सिंह	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया	9769118862
22	श्री इंद्रजीत यादव	संयुक्त निदेशक	एमएसएमई-डि	8126248984
23	डॉ० मनोज कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	9471530929
24	श्री पवन कुमार	सहायक महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9831720610
25	श्री प्रदीप कुमार हजारी	विशेष सचिव सह सलाहकार	कृषि विभाग	9441821911
26	डॉ ० एच.एन.द्विवेदी	मत्स्य पालन विभाग	झारखंड सरकार	
27	श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	7718825815
28	श्री संजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	8709316664
29	श्री गौतम पॉल	उप क्षेत्रीय प्रमुख	बैंक ऑफ बड़ौदा	628739[illegible]
30	श्री रोहित रमन	उप आंचलिक प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9753059015
31	श्री संजय कुमार सिन्हा	उप आंचलिक प्रबंधक	यूको बैंक	8016710116
32	श्री दिनेश कुमार	ईडीएम, पीएमईएमई	उद्योग निदेशक	7401461046
33	श्री चंद्र भूषण पांडे	राज्य नियंत्रक	रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी	9073396646
34	श्रीमती नेहा बाला	डिप्टी एसपी	सीआईडी	7004974707
35	श्री हरि प्रसाद साह	निरीक्षक	सीआईडी	9973834775
36	श्री एस नावेद	प्रबंधक, पीएमएफएमई	उद्योग विभाग	8685970567
37	श्रीमती अंजलि लाकड़ा	प्रोजेक्ट मैनेजर	उद्योग विभाग	7043021312
38	श्री दिनेश कुमार	ईडीपी	उद्योग विभाग	7401461046
39	श्री बिष्णु सी परिदा	कुजना	जेएसएलपीएस	9939221549
40	श्रीमती अंजलि एन लाकड़ा	राज्य प्रमुख	पीएमएफएमई झारखंड सरकार	7043021312
41	श्री अनिल कुमार	एसएनओ आरसेटी	आरडीडी, झारखंड राज्य	9431901016
42	श्री मोहनजी लाल	तकनीकी अधिकारी	डेयरी विकास निदेशालय	7909052127
43	श्री त्रिशूल प्रकाश सिंह	तकनीकी अधिकारी	डेयरी विकास निदेशालय	9006457091
44	श्री राजेश केआर सिन्हा	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सहकारी समितियाँ	7004726652
45	श्री बैजू प्रसाद	प्रतिनिधि	आईटी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	8987505062
46	श्रीमती श्वेता रानी	प्रबंधक	सिडबी	9686143728
47	श्री राजीव मल्होत्रा	सहायक निदेशक	केवीआईसी	9431169393
48	श्री राजीव कुमार	सहायक निदेशक	केवीआईसी	9474059776
49	श्री शिवम सिंह	संयुक्त सचिव जेएसआईए	जेएसआईए	9835334399
50	श्री सचिन केजरीवाल	अध्यक्ष	जेएसआईए	9955993709
51	श्री हरि प्रसाद बियानी	सीओ चेयरमैन बैंकिंग सब कॉम.	जेएसआईए	8002685608
52	श्री राजीव रंजन	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	8617763005
53	श्री प्रबोध कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	केनरा बैंक	7520201560
54	श्री संदीप रंजन	मुख्य प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9199336162
55	श्री राजीव रंजन	मुख्य प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9073369980
56	श्री हरिचंद मुर्मू	वरिष्ठ प्रबंधक	यूको बैंक	9792301920
57	श्री मुकेश कुमार	वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	9827729508
58	श्री राजेंद्र कुमार	मुख्य प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	9837130921
59	श्री महेश कुमार राय	आरडीओ	इंडियन ओवरसीज बैंक	8757776638
60	श्री आदित्य कुमार	मुख्य प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	9697121900
61	श्री माइकल सांगा	वरिष्ठ प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	7667120341
	श्री प्रताप होरो	वरिष्ठ प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9049724477

63	श्री संजीव तूती	सहायक महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	9926624415
64	श्रीमती रूही घोष	उप प्रबंधक	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	6201389767
65	प्रतिनिधि	फेडरल बैंक लिमिटेड	अनुपस्थित	
66	श्री नवनीत गांधी	डीवीपी	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9934011083
67	श्री कौशल किशोर	सहायक महाप्रबंधक	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9934313934
68	श्री शब्बीर अख्तर	क्षेत्रीय प्रमुख	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771499046
69	श्री राजेश कुमार	सहायक शाखा प्रबंधक	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	9771492660
70	श्रीमती रश्मी रुचि	ए.वी.पी	एक्सिस बैंक लिमिटेड	8811095286
71	श्री अमित कुमार नायक	क्षेत्रीय प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9937192007
72	श्री फैहद शाह	प्रबंधक	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड	9596387070
73	श्री रबी शंकर पांडे	वीपी-सीएचएसओ	हाँ बैंक	9434383109
74	श्रीमती किरण मिश्रा	ए.वी.पी	कोटक महेंद्र बैंक लिमिटेड,	9709000208
75	श्री धन्नजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	9836711150
76	श्री मनीष कुमार सिन्हा	शाखा प्रबंधक	डीबीएस बैंक	9308457750
77	श्री वी विजय कुमार	शाखा प्रबंधक	करूर वैश्य बैंक	7091194716
78	श्री अभय कुमार	क्लस्टर प्रमुख	बंधन बैंक	9534130002
79	श्री रजनीश मुखर्जी	संचालन प्रबंधक	इंएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड	9288013385
80	श्री मनीष कुमार	क्षेत्रीय प्रमुख	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	7857939666
81	श्री तुषार सिंह	वरिष्ठ शाखा प्रबंधक	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	7903189946
82	श्री प्रद्युम्न राव	आंचलिक प्रमुख	उत्कर्ष लघु वित्त बैंक	8585007250
83	श्री अमरेन्द्र झा	ZLM	उत्कर्ष लघु वित्त बैंक	9334616474
84	श्री प्रवीण ओझा	शाखा प्रबंधक	जन लघु वित्त बैंक	7004940734
85	श्री मुकेश कुमार मिश्रा	ए.वी.पी	एयू लघु वित्त बैंक	9835474216
86	श्री विनायक पाटिल	राज्य प्रमुख	एयरटेल भुगतान बैंक	9890999888
87	श्री अशोक पांडे	वीपी	फिनो भुगतान बैंक	7566668649
88	श्री बिराज डेका	मुख्य प्रबंधक	इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक	9038224959
89	श्री प्रतिनिधि	पेटीएम भुगतान बैंक	अनुपस्थित	
90	श्री आबिद हुसैन	बोकारो	अग्रणी जिला प्रबंधक	8451978491
91	श्री देवब्रत शर्मा	चतरा	अग्रणी जिला प्रबंधक	8002738027
92	श्री राजीव कुमार	देवघर	अग्रणी जिला प्रबंधक	8406002014
93	श्री राजेश कुमार सिंह	धनबाद	अग्रणी जिला प्रबंधक	7260814454
94	श्री चन्द्रशेखर पटेल	दुमका	अग्रणी जिला प्रबंधक	7488060045
95	श्री संतोष कुमार	पूर्वी सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	8600500542
96	श्री ए के मांझी	गढ़वा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7209822572
97	श्री सुरनारायण मोहंती	गिरिडीह	अग्रणी जिला प्रबंधक	9661859585
98	श्री चंदन चौहान	गोड्डा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9534741185
99	श्रीमती मनीषा कुमारी	गुमला	अग्रणी जिला प्रबंधक	8709568277
100	श्री राकेश आज़ाद	हजारीबाग	अग्रणी जिला प्रबंधक	8709551260
101	श्री राजेश कुमार सिन्हा	जामताड़ा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9798967181
102	श्री सनत दुबे	खूंटी	अग्रणी जिला प्रबंधक	9572024420
103	श्री निवास कुमार	कोडरमा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7903780946
104	श्री राजीव कुमार मंदिलवार	लातेहार	अग्रणी जिला प्रबंधक	8936802753
105	श्री शंकर प्रसाद	लोहरदगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934516331
106	श्री मनोज कुमार	पाकुर	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781919295
107	श्री एंथोनी लियांगी	पलामू	अग्रणी जिला प्रबंधक	7992310119
108	श्री संजीव कुमार	रामगढ़	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363709
109	श्री श्रीकांत	रांची	अग्रणी जिला प्रबंधक	9470650026
110	श्री सुधीर कुमार	साहिबगंज	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781011677
111	श्री बीरेंद्र कुमार शिट	सरायकेल खरसवां	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438410
112	श्री संजीव कुमार चौधरी	सिमडेगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363710
113	श्री दिवाकर सिन्हा	पश्चिम सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438409
114	श्रीमती सुनीता कुमारी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
115	श्री राजेंद्र गुप्ता	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
116	श्री रोशन चौधरी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9431787051
117	श्रीमती प्राची मिश्रा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9931399824
118	श्रीमती दर्पण शर्मा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
119	श्रीमती रिजवाना खातून	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
120	श्री कुमार ऋषव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9525166838
121	श्री प्रशांत कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9471182910
122	श्री अश्विनी कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
123	श्री शैलेश कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	8005958455
124	श्री बिट्टू कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	